प्रपत्र 'ख'

[नियम १५ (४) देखिए]

प्रदेशना आज्ञा

.....में स्थित ब्लाक संख्या.....

का गृह संख्या.....श्री.....

आत्मज श्री.....सर्वश्री.....

क कर्मचारी, टिकट संख्या.....पाली.....

को.....रु० मासिक किराए पर, जिसमें बिजली के तथा अन्य परिव्यय सम्मिलित नहीं हैं, निम्नलिखित शर्तों पर प्रदिष्ट किया जाता है :--

सहायक गृह-आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
कृते गृह-आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

प्रदेशना की शर्तें--

१--वह गृह के दो मास के किराए के बराबर प्रतिभूति जमा करेगा जो केवल उस दशा में लौटाई जा सकेगी जब उसे कोई गृह प्रदिष्ट न किया जाय अथवा जब वह गृह को खाली कर दे:

प्रतिबन्ध यह है कि प्रतिभूति केवल उस दशा म लौटाई जा सकेगी जब उसके नाम कोई बकाया न हो और वह गृह-आयुक्त द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी का इस आशय का शोधन (clearance) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

२--वह प्रत्येक मास का किराया तथा अन्य देय धनराशियों का भुगतान अनुगामी मास के १५ वें दिनांक को या उसके पूर्व उस व्यक्ति को करेगा जो गृह आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा उसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

३--वह अपने अध्यासन के अधिकार को, किसी अन्य व्यक्ति को अभिहस्तांकित न करेगा और गृह या उसके किसी भाग को शिकमी को न उठाएगा अथवा उसे अन्य प्रकार से हस्तान्तरित न करेगा या कब्जे का परित्याग न करेगा।

४--गृह का प्रयोग तथा अध्यासन उसके तथा उसके परिवार के वास्तविक सदस्यों द्वारा केवल निवास के प्रयोजनों के लिए किया जायगा, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं।

५—यदि गृह अथवा उसके किसी भाग को अथवा उसमें लगी किसी वस्तु को कोई क्षति पहुंचे तो वह ऐसे प्रतिकर का देनदार होगा, जो गृह-आयुक्त अवधारित करे।

६—वह गृह को साफ तथा स्वच्छ दशा में रक्खेगा।

७—वह किसी नल के पानी को व्यर्थ न बहने देगा।

८—वह गृह को इस प्रकार प्रयोग में न लाएगा, जिससे पड़ोस के गृहों के अध्यासियों के लिए कोई असुविधा, कंटक या क्लेश उत्पन्न हो।

९—वह गृह या उसके किसी भाग में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन न करेगा और न उसमें लगी किसी वस्तु को हटायेगा।

१०—वह सरकारी कर्तव्यों का अनुपालन करने में गृह निरीक्षक अथवा गृह-आयुक्त के अधीन नियोजित अन्य कर्मचारी वर्ग के कार्यों में बाधा नहीं डालेगा। ऐसी बाधा, यदि कोई हो, डालने पर वह बेदखल किए जाने का पात्र होगा।

११—एक बार प्रविष्ट गृह पर्याप्त कारणों के बिना बदला न जायगा।

१२—जैसे ही अध्यासी फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ में यथापरिभाषित श्रमिक (worker) न रह जाय, वह इसकी सूचना लिखकर गृह-आयुक्त को देगा। तब उसका अध्यासन का अधिकार तत्काल समाप्त हो जायगा और वह गृहादि खाली कर देगा।

१३—वह उपर्युक्त समस्त शर्तों और उनमें किसी ऐसे परिवर्तन या परिवर्द्धन का, जिसका उसे नोटिस दिया जाय, पालन करेगा।